

मांग संख्या 01  
मुख्य शीर्ष 2012

### मद क्रमांक 1-3

सचिव, राज्यपाल महोदय के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में स्वीकृत बजट के विरुद्ध वेतन, यात्रा भत्ता एवं पेट्रोल आदि में वृद्धि होने के कारण रुपये 4.11 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,11,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2051

### मद क्रमांक 4

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत परीक्षा मद में स्वीकृत बजट के विरुद्ध रुपये 1,18,73,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,18,73,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03  
मुख्य शीर्ष 2055

### मद क्रमांक 1

भारत सरकार द्वारा नारकोटिक्स विंग के सुदृढीकरण हेतु रुपये 16,49,000 की राशि स्वीकृत की गई है। व्यय की पूर्ति भारत शासन द्वारा की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,49,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

मध्यप्रदेश में गठित आंतकवाद निरोधक दस्ते के लिये उपकरण एवं संसाधन जुटाने हेतु रुपये 2.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

### मद क्रमांक 3 - 4

होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों के भोजन भत्ते एवं मानदेय में स्वीकृत बजट से रुपये 4,23,22,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,23,22,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 05  
मुख्य शीर्ष 2056

### मद क्रमांक 1

कैदियों की मृत्यु पर आश्रितों को क्षतिपूर्ति मद में स्वीकृत बजट के विरुद्ध रुपये 5,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2 - 3

जेल विभाग के अन्तर्गत दवाईयों, राशन का मूल्य, भोजन व्यय में स्वीकृत बजट के विरुद्ध लंबित देयकों के भुगतान हेतु रुपये 5,81,70,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,81,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07  
मुख्य शीर्ष 2030

### मद क्रमांक 1

महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय के अन्तर्गत मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत पंचायत भू-राजस्व तथा स्टाम्प शुल्क की आरक्षित निधियों में

हस्तान्तरण में अंतरण मद में अतिरिक्त संग्रहित की गई राशि के लिये भारित मद में रुपये 11,34,35,000 के अतिरिक्त अंतरण किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,34,35,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08  
मुख्य शीर्ष 2029

### मद क्रमांक 1

आयुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत मजदूरी मद में वर्ष 2008-09 में राशि रुपये 21,49,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,49,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2 - 4

आयुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर, म.प्र. के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ता अन्तर्गत राशि रुपये 11,47,50,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,47,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

### मद क्रमांक 5

राजस्व मंडल ग्वालियर के अधिकारियों के वेतन भत्ते हेतु रुपये 1,84,000 के भारित मद में अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,84,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10  
मुख्य शीर्ष 2406

### मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में रुपये 39.87 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 39,87,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11  
मुख्य शीर्ष 2852

### मद क्रमांक 1 - 30

उद्योग संचालनालय के अधीन सात संभागीय मुख्यालयों पर परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय की स्थापना की गई है। परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय हेतु वर्ष 2008-09 में व्यय के लिये रुपये 2600 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 31

उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में रुपये 109.00 लाख का अतिरिक्त राशि का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,09,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 32

भारत ओमान रिफाईनरी लि. को वर्क्स काट्रेक्ट टैक्स की प्रतिपूर्ति हेतु वर्ष 2008-09 में रुपये 12.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 33**

भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमाकेशन सर्विस चार्जेस के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में रुपये 91.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 91,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12  
मुख्य शीर्ष 4801

**मद क्रमांक 1**

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत की 10 प्रतिशत राशि विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदान की जाना है। इसके लिये रुपये 16.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

**मद क्रमांक 2**

प्रदेश में विद्युत प्रदाय की व्यवस्था की सुनिश्चितता के लिये विद्युत वितरण कंपनियों को कार्यशील पूंजी हेतु ऋण रुपये 150.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13  
मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 1**

मध्यप्रदेश में दलहन एवं तिलहन की बुआई हेतु उर्वरक के रूप में डी.ए.पी. की आवश्यकता हेतु परिवहन व्यय तथा उर्वरकों की अग्रिम व्यवस्था हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज एवं शासकीय प्रतिभूति पर लगने वाली फीस की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 40,00,00,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (कार्पस ऑफ फण्ड) हेतु रुपये 50,00,00,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 15  
मुख्य शीर्ष 2216

**मद क्रमांक 1**

इंदिरा आवास योजना हेतु केन्द्रांश की अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की संभावना है। राज्यांश की पूर्ति हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 711.76 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,11,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 20  
मुख्य शीर्ष 2215

**मद क्रमांक 1**

दैनिक वेतन भोगी कार्यभारित कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान की व्यवस्था हेतु रुपये 18.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। इस हेतु आकस्मिकता निधि से रुपये 12.00 करोड़ अग्रिम स्वीकृत कर राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति एवं शेष आवश्यकता की पूर्ति हेतु रुपये 18,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

## मद क्रमांक 2

गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना में रुपये 1431.82 लाख का व्यय संभावित है। भारत सरकार से रुपये 715.91 लाख की राशि प्राप्त होने की संभावना है। इस प्राप्त होने वाली राशि के समतुल्य राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,31,82,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 3-4

गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम अन्तर्गत स्वजलधारा एवं गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के समतुल्य राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराते हुये कुल रुपये 10000.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 21

मुख्य शीर्ष 2217

## मद क्रमांक 1

लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना हेतु मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ को अनुदान दिये जाने हेतु रुपये 9456.77 लाख का और व्यय इस वित्तीय वर्ष में होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 94,56,77,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 2

नगर और ग्राम निवेश के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में चिकित्सा देयकों के भुगतान हेतु रुपये 11.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3054

## मद क्रमांक 3

राजधानी में सड़कों के विकास हेतु वर्ष 2008-09 में रुपये 4.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 22

मुख्य शीर्ष 2217

## मद क्रमांक 1 - 23

मध्यप्रदेश सफाई कामगार आयोग के गठन के लिये राशि रुपये 23.00 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23

मुख्य शीर्ष 4700

## मद क्रमांक 1

काली सिंध परियोजना, जिला शाजापुर के वृहद निर्माण कार्य हेतु रुपये 4,53,54,00,000 के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। जिसकी व्यवस्था बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

## मद क्रमांक 2

कछाल मध्यम परियोजना, जिला शाजापुर के वृहद निर्माण कार्य हेतु रुपये 41,30,27,000 के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। जिसकी व्यवस्था बजट की बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24

मुख्य शीर्ष 3054

## मद क्रमांक 1

दैनिक वेतन एवं कार्यभारित कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु रुपये 38.14 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

## मद क्रमांक 2

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वृहद पुलों के निर्माण कार्य हेतु रुपये 10.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 3

रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य में रुपये 2.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 4

नाबार्ड ऋण सहायता अन्तर्गत पुलों के वृहद निर्माण कार्य हेतु रुपये 15.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। राशि की प्रतिपूर्ति मांग संख्या-64 से समर्पित कर की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 5

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निम्नांकित मार्गों का निर्माण कार्य कराया जाना है इन कार्यों पर रुपये 12970.35 लाख का व्यय होना संभावित है।

विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	जिला	कार्य का नाम	लम्बाई	(रुपये लाखों में)	
				लागत	प्रतीक प्रावधान (राशि रुपये में)
1.	रतलाम	खाचरोद-मलवासा-रतलाम-खाचरोद नागदा (ओ.डी.आर.) मार्ग का उन्नयन	13.175	1110.52	100
2.	रतलाम	रतलाम-मलवासा-रतलाम-खाचरोद नागदा (ओ.डी.आर.) मार्ग का उन्नयन	15.00	1245.93	100
3.	उज्जैन	नागदा-धिनौदा मार्ग का निर्माण	11.3	547.09	100
4.	शाजापुर	बड़ोद-अलोट मार्ग का उन्नयन	13.8	394.23	100
5.	शाजापुर	आमला-नलखेड़ा मार्ग का उन्नयन	14.00	375.16	100
6.	अशोकनगर	विजयपुर-ईशागढ़ मार्ग	14.12	880.21	100
7.	अशोकनगर	अशोकनगर-पिपरई-मूगांवली मार्ग	44.26	2224.91	100

8. अशोकनगर	अशोकनगर-ईशागढ़ मार्ग से नई सराय	25.1	1274.23	100
9. देवास	देवास-राजोदा-केलोद-डबलचौकी मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन	31.74	1306.89	100
10. देवास	बागली से हाट पिपल्या मार्ग का निर्माण/उन्नयन	21.00	1136.02	100
11. देवास	हाटपिपल्या रंपा सिद्धकीगंज मार्ग का निर्माण एवं उन्नयन	27.26	1332.42	100
12. देवास	सोनकच्छ गन्धर्वपुरी खेरिया जागीर मार्ग का निर्माण	11.38	576.74	100
13. कटनी	खितोला उमरियापान मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण	8.6	566.00	100

-----  
योग 12970.35 1300  
-----

व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

आवागमन की सुविधा हेतु निर्मांकित स्थानों पर मार्गों का निर्माण कार्य कराया जाना है। इन कार्यों पर रुपये 27048.00 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये लाख में)

क्रमांक	जिला	कार्य का नाम	लम्बाई	लागत	प्रतीक प्रावधान
1.	शहडोल अनूपपुर डिण्डोरी	शहडोल-सिंहपुर-बजांग-चाडा-पडरिया (छत्तीसगढ़ सीमा तक)	119.10	11976.26	100
2.	रतलाम झाबुआ	रतलाम-झाबुआ एवं लिंकरोड थान्दला से राजस्थान सीमा तक	116.00	8500.00	100
योग				20476.26	200

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण कार्य हेतु रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

आवागमन की सुविधा हेतु निर्मांकित स्थानों पर मार्गों का निर्माण कार्य कराया जाना है। इन कार्यों पर रुपये 5319.97 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	जिला	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत	प्रतीक प्रावधान (राशि रुपये में)
1.	सागर	बंडा-बरामठा मार्ग का निर्माण	35.00	1656.66	100

2. मंदसौर	आलोट-सुवासरा-गरोठ भानपुर मार्ग	70.60	3663.31	100
		-----		
	योग	5319.97	200	
		-----		

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9

ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य हेतु रुपये 10.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य हेतु रुपये 10.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

नाबार्ड ऋण सहायता के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य हेतु रुपये 30.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। राशि की पूर्ति मांग संख्या-42 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12

भोपाल के खेलग्राम-सतगढ़ी पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना है। इस कार्य रुपये 244.27 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13

देवास बायपास मार्ग के निर्माण में भू-अर्जन के मुआवजा भुगतान हेतु भारत मद में रुपये 234.14 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,34,14,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत बी.ओ.टी. योजना अन्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिये रुपये 25.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या	26
मुख्य शीर्ष	2205

### मद क्रमांक 1

भारत भवन प्रशासनिक व्यवस्था मद में वेतन भत्तों के भुगतान हेतु वर्ष 2008-09 में राशि रुपये 30.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	27
मुख्य शीर्ष	2202

### मद क्रमांक 1

मदरसा आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार रुपये 4,99,55,000 की अतिरिक्त राशि का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,99,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 34  
मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 1

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत निर्धन, जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह सम्पन्न किये जाने के लिये आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 700.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 37  
मुख्य शीर्ष 5452

### मद क्रमांक 1-4

12वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों के लिये वित्त आयोग की अनुशंसा ( सामान्य) के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में रुपये 2.85 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,85,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 39  
मुख्य शीर्ष 2408

### मद क्रमांक 1

वित्तीय वर्ष 2008-09 में म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 3,70,00,000 की और आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

वित्तीय वर्ष 2008-09 में म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु कार्पोरेशन के लंबित दावों की राशि के भुगतान हेतु रुपये 9,25,00,000 की और आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41  
मुख्य शीर्ष 2204

### मद क्रमांक 1

आदिवासी क्षेत्रों में खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों को किट व्यवस्था, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कार, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का बीमा तथा खिलाड़ियों को खेल वृत्ति / सम्मान आदि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 20.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

### मद क्रमांक 2

माईक्रो इरीगेशन सिंचाई पद्धति में कृषकों की बढ़ती रुचि एवं मांग को दृष्टिगत रखते हुए माईक्रो इरीगेशन की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में राज्यांश के रूप में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 224.35 लाख की आवश्यकता है।



अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,24,35,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

### मद क्रमांक 3 - 7

बाघों की घटती संख्या से चिंतित होकर भारत सरकार के द्वारा टाईगर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिसकी अनुशंसाओं के अनुरूप बाघों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 10.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

### मद क्रमांक 8

आदिवासी क्षेत्रों में खेलों के विकास एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण योजना में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 45.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9

खेल अकादमियों की स्थापना योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

### मद क्रमांक 10

गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना अंतर्गत विमुक्त की गई राशि से समतुल्य राज्यांश का व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में नलकूप खनन के कार्यों हेतु केन्द्रांश के रूप में रुपये 615.70 लाख एवं राज्यांश के रूप में रुपये 615.70 लाख इस प्रकार कुल रुपये 1231.40 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,31,40,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

### मद क्रमांक 11

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिण्डोरी जिले की बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई योजना लागत रुपये 5596.35 लाख का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

### मद क्रमांक 12

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाओं का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	योजना का नाम	विकास खंड	जिला	लागत (रु. लाखों में)
1.	चिल्कापुरा जलाशय	भैसदेही	बैतूल	333.40
2.	काकडपानी जलाशय	भैसदेही	बैतूल	281.09
3.	कौंडिया जलाशय	भैसदेही	बैतूल	382.53
4.	सिंगपुर इमलिया तालाब	ओबेदुल्लागंज	रायसेन	185.22
5.	कालूखेडी तालाब	बदनावर	धार	137.92

6.	छोटा इटारा	जोबट	अलिराजपुर	271.48
7.	गजेन्द्र तालाब	महू	इन्दौर	411.18
8.	महुआखेडा जलाशय	तेन्दुखेड़ा	नरसिंहपुर	245.74
9.	पांढरी तालाब	प्रभातपट्टन	बैतूल	377.59
10.	कोठी तालाब	ढीमरखेड़ा	कटनी	405.30
11.	झिन्ना पिपरियो तालाब	ढीमरखेड़ा	कटनी	418.95
12.	हल्का तालाब	ढीमरखेड़ा	कटनी	187.16
13.	संगम ( नावाघाय ) लिफ्ट स्टोरेज	नैनपुर	मंडला	135.35
14.	सुंदरघाट एनीकट	नैनपुर	मंडला	108.93
15.	फतेज नाला स्टोरेज क्रासिंग	मवई	मंडला	102.49
16.	घुटको नाला स्टोरेज क्रासिंग	घुघरी	मंडला	125.12
17.	रानीखोह घाट स्टोरेज क्रासिंग	नैनपुर	मंडला	106.96
18.	कोपेनाला एनीकट स्टोरेज	बिछिया	मंडला	101.98
19.	खैरीमाल स्टोरेज कम क्रासिंग	मोहगांव	मंडला	110.10
20.	इलाहीफोड़ा खुदरा स्टोरेज क्रासिंग	घुगरी	मंडला	175.50
21.	कुकरा नाले पर स्टोरेज	घुगरी	मंडला	101.75
22.	गरैया स्टोरेज कार्य	घुगरी	मंडला	100.90
23.	गुरबिनी नाले पर स्टोरेज कार्य	मोहगांव	मंडला	108.98
24.	चाबी एनीकट	मोहगांव	मंडला	109.98
25.	देवगांव कुडोपानी स्टोरेज क्रासिंग	मोहगांव	मंडला	170.00
26.	कटंगा रैयत स्टोरेज वर्क	बिछिया	मंडला	100.85
27.	हृदयनगर देवगांव स्टोरेज क्रासिंग	मंडला	मंडला	130.10
28.	मटियारी नदी स्टोरेज कार्य	बिछिया	मंडला	108.90
29.	सैदालपार स्टोरेज बियर	घंसौर	मंडला	109.90
30.	नर्मदा नदी पर स्टोरेज कार्य	मंडला	मंडला	149.95

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 43  
मुख्य शीर्ष 4202

### मद क्रमांक 1

पायका (पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान) योजना अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त 75 प्रतिशत राशि रुपये 9,22,13,000 के अनुरूप 25 प्रतिशत राज्यांश की राशि रुपये 2,31,00,000 कुल राशि रुपये 11,53,13,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,53,13,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 44  
मुख्य शीर्ष 2202

### मद क्रमांक 1

नियोक्ता अंशदान की आय में कमी के फलस्वरूप विश्व विद्यालय पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किये जाने हेतु रुपये 150.00 लाख की अतिरिक्त राशि का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों के स्थान पर अतिथि विद्वानों के लिये मानदेय की दरों के पुनरीक्षित किये जाने के फलस्वरूप रुपये 80.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45  
मुख्य शीर्ष 4702

### मद क्रमांक 1

प्रदेश की निर्मांकित 45 लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाओं हेतु रुपये 2,20,33,48,000 के व्यय की संभावना है।

योजना का नाम जिला अनुमानित लागत अनुदान की राशि  
(राशि लाख में) (राशि रुपये में)

1. कुहु नदी पर श्रंखलाबद्ध 3 बैराज	रायसेन	187.42	100
2. चिरोली नाला स्टापडेम	रायसेन	160.87	100
3. सिन्दौर नदी पर श्रंखलाबद्ध 8 बैराज	रायसेन	947.50	100
4. घोर पानी तालाब योजना	रायसेन	154.95	100
5. चोरा कमरोरा तालाब योजना	रायसेन	532.74	100
6. रोझारा तालाब योजना	रायसेन	245.64	100
7. टेहरी तालाब योजना	रायसेन	1192.50	100
8. जमुनिया तालाब योजना	रायसेन	1896.69	100
9. जोहर तालाब योजना	रायसेन	587.53	100
10. जतनपुर तालाब योजना	रायसेन	246.12	100
11. सरूमरा तालाब योजना	अशोकनगर	1841.43	100
12. गोरखपुर तालाब योजना	राजगढ़	1653.53	100
13. रोय्या तालाब योजना	राजगढ़	273.54	100
14. टाण्डी तालाब योजना	राजगढ़	285.06	100
15. गणेशपुरा स्टापडेम	राजगढ़	139.62	100
16. कचवेडी उ.सि.यो.	हरदा	1958.07	100
17. सरदार नगर उ.सि.यो.	सीहोर	1131.60	100
18. बीलपान तालाब योजना	सीहोर	417.08	100
19. बड़खोला तालाब योजना	सीहोर	790.31	100
20. सौण्डा तालाब योजना	सीहोर	113.93	100
21. कांद्ई तालाब योजना	गुना	323.27	100
22. हनुपुरा तालाब योजना	ग्वालियर	124.77	100
23. घुर्घाट स्टापडेम	ग्वालियर	175.84	100
24. टोरा तालाब योजना	ग्वालियर	169.10	100
25. किलावनी तालाब योजना	शिवपुरी	742.48	100
26. गुरिल्ला तालाब योजना	शिवपुरी	395.09	100
27. बड़ेहार तालाब योजना	शिवपुरी	186.22	100
28. सगड नदी पर श्रंखलाबद्ध 5 बैराज	विदिशा	199.55	100
29. सिद्धबाबा तालाब योजना	दमोह	296.16	100
30. बरदू तालाब योजना	देवास	448.93	100
31. गलराखेड़ी तालाब योजना	देवास	510.81	100
32. भोजपुरा तालाब योजना	देवास	146.79	100
33. मुकुन्दगढ़ तालाब योजना	देवास	157.14	100
34. बेहरिया बैराज	उज्जैन	100.72	100
35. रामडी तालाब योजना	शाजापुर	182.15	100
36. रथभंवर तालाब योजना	शाजापुर	110.86	100

37. घनश्यामपुरा तालाब योजना	बुरहानपुर	116.87	100
38. मोतियादेव तालाब योजना	बुरहानपुर	950.00	100
39. बनियानाला तालाब योजना	बुरहानपुर	153.18	100
40. कुण्डलियां माधवपुर तालाब	राजगढ़	108.80	100
41. गाडवारा तालाब योजना	सिवनी	457.53	100
42. मोहांस तालाब योजना	सतना	254.99	100
43. केकरिया खुर्द तालाब	गुना	497.74	100
44. भाल बमौरा तालाब	विदिशा	321.36	100
45. सबलगढ़ तालाब का जीर्णोद्धार	मुरैना	147.00	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47  
मुख्य शीर्ष 2203

### मद क्रमांक 1 - 3

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिवपुरी, श्योपुर, डिण्डोरी, रीवा, सीधी में पोलीटेकनिक संस्थाओं की स्थापना व्यय हेतु रुपये

4.00 करोड़ की निम्नानुसार आवश्यकता है:-

1. उपकरण कम्प्यूटर क्रय	2,92,90,000
2. फर्नीचर क्रय	40,00,000
3. पुस्तकें डिजिटल लाइब्रेरी	35,00,000
4. वाहन क्रय	32,10,000

-----  
योग 4,00,00,000  
-----

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

### मद क्रमांक 4

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिवपुरी, श्योपुर, डिण्डोरी, रीवा, सीधी में पोलीटेकनिक संस्थाओं के भवनों के निर्माण हेतु रुपये

6.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 51  
मुख्य शीर्ष 2250

### मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश के शासकीय मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 2008-09 में राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 52  
मुख्य शीर्ष 2215

### मद क्रमांक 1

केन्द्र प्रवर्तित ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु अनुदान योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में 50 प्रतिशत के अनुपात में राज्यांश एवं केन्द्रांश के रूप में वित्तीय वर्ष में रुपये 322.40 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,22,40,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत इंदिरा आवास योजना हेतु केन्द्रांश की अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की संभावना है। राज्यांश की पूर्ति हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 961.52 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,61,52,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55  
मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 1 - 3**

वर्ष 2008-09 में विभाग के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आई.सी.डी.एस. योजना में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं अन्य भत्तों हेतु रुपये 10.98 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। यह राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत राज्य एवं जिला स्तरीय सेल में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु वर्ष 2008-09 में रुपये 46,13,000 की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। यह राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,13,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5 - 7**

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं संविदा पर कार्यरत पर्यवेक्षकों के मानदेय के भुगतान हेतु राशि रुपये 10,61,34,000 की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। यह राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,61,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2236

**मद क्रमांक 8**

महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत शहरी पोषण आहार योजना में कार्यरत कर्मचारियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किये जाने हेतु वर्ष 2008-09 में राशि रुपये 29.32 लाख का अधिक व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 29,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56  
मुख्य शीर्ष 2851

**मद क्रमांक 1**

वित्तीय वर्ष 2008-09 के म.प्र. माटीकला बोर्ड के प्रशासनिक व्ययों हेतु सहायता अन्तर्गत रुपये 10,00,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64  
मुख्य शीर्ष 2204

**मद क्रमांक 1**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों को क्रिकेट व्यवस्था, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कार, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का बीमा तथा खिलाड़ियों को खेल वृत्ति /सम्मान आदि हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 15.00 लाख की

अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

## मद क्रमांक 2

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में रोजगार मूलक स्थानीय विकास कार्यों के लिये भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत रुपये 1343.10 लाख की अतिरिक्त राशि निर्गमित की गई है। जिसमें से स्वरोजगार योजना के लिये रुपये 700.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 3

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में रोजगार मूलक स्थानीय विकास कार्यों के लिये भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत रुपये 1343.10 लाख की अतिरिक्त राशि निर्गमित की गई है। जिसमें से विमुक्त घुमकड जातियों हेतु विशेष प्राधिकरण को अनुदान योजना के लिये रुपये 343.10 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,43,10,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

## मद क्रमांक 4

माईक्रो इरीगेशन सिंचाई पद्धति में कृषकों की बढ़ती रुचि एवं मांग को दृष्टिगत रखते हुए माईक्रो इरीगेशन की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना में राज्यांश के रूप में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 448.70 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,48,70,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

## मद क्रमांक 5

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत रुपये 1343.10 लाख की अतिरिक्त राशि निर्गमित की गई है। जिसमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाईन का विकास योजना के लिये रुपये 300.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

## मद क्रमांक 6

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में खेलों के विकास एवं अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण योजना में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 35.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 7

खेल अकादमियों की स्थापना योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 22.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 65

मुख्य शीर्ष 2052

### मद क्रमांक 1 - 3

किराये पर लिये गये विमान-हेलीकाप्टर एवं पायलट के देयकों, विमान हेलीकाप्टर ईंधन के देयकों तथा विमान/ हेलीकाप्टर के संधारण, ओव्हरहाल एवं मरम्मत के देयकों का भुगतान करने हेतु राशि रुपये 228.76 लाख के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,28,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 66  
मुख्य शीर्ष 2225

### मद क्रमांक 1

पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत राशि रुपये 2.29 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,29,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना के रूप में चिन्हांकित किया गया है। अतः पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु रुपये 20.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67  
मुख्य शीर्ष 4059

### मद क्रमांक 1

जिला ग्वालियर में नवीन कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण कार्य हेतु रुपये 3.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

उच्च न्यायालय इंदौर परिसर में महाधिवक्ता कार्यालय के नवीन भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 75.00 लाख की आवश्यकता है। उपरोक्त व्यय का 50 प्रतिशत भाग केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत भाग राज्यांश का होगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75  
मुख्य शीर्ष 2202

### मद क्रमांक 1

शिक्षक/अध्यापक संवर्ग के नगरीय क्षेत्र की शालाओं में पदस्थ शिक्षा कर्मी वर्ग-2 एवं वर्ग-3 के वेतन भुगतान की एकजाई व्यवस्था कोषालय से आहरित कर की जावेगी। इस हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 12,15,27,000 राशि का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,15,27,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

### मद क्रमांक 2

स्थानीय निकायों को प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर अनुदान अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के लिये राशि रुपये 11189.60 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,11,89,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार नगरीय स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिये वर्ष 2008-09 में राशि रुपये 1487.38 लाख का

अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,87,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 80  
मुख्य शीर्ष 2202

### मद क्रमांक 1

शिक्षक अध्यापक संवर्ग के ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में पदस्थ शिक्षा कर्मी वर्ग-2 एवं वर्ग-3 के वेतन भुगतान की एकजाई व्यवस्था कोषालय से आहरित कर की जावेगी। इस हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 79,38,65,000 राशि का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 79,38,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

### मद क्रमांक 2

वर्ष 2008-09 हेतु इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत केन्द्रांश की राशि रुपये 22242.21 लाख प्राप्त होने के कारण इसी अनुरूप राज्यांश की राशि उपलब्ध कराने हेतु रुपये 1126.72 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,26,72,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।